मा/निगरानी/सागर/भू-25/2017/2221

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–सागर

1– लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री सीताराम राय
निवासी – मालथोन तहसील मालथोन जिला – सागर (म.प्र.)
2– परमेश्वरदास पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण राय आवेदकगण
नि. मालथोन तह. मालथोन जिला सागर म.प्र.

विरूद्ध

1– श्रीमती सुमंत्रा बाई पत्नी रामप्रवेश राय
निवासी – बीकोर कला तहसील मालथोन जिला सागर (म.प्र.)
~~2– परमेश्वरदास पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण राय~~
2– कालू राम पुत्र श्री जमना प्रसाद चौरसिया
3– आशा राम पुत्र श्री सीताराम राय
4– गोकुल पुत्र श्री जमना प्रसाद चौरसिया
निवासीगण– मालथोन तहसील मालथोन जिला – सागर (म.प्र.)

–– अनावेदकगण

श्री ... द्वारा आज दि. 14.7.17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 14-7-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी खुरई जिला सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 105/अ–70/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 28.02.2017 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नलिखित निवेदन है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा तहसीलदार तहसील मालथोन के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया कि ग्राम मालथोन स्थित भूमि खसरा नं. 113 रकवा 1.38 है0 का वह भूमि स्वामी है जिसका इन्द्राज राजस्व अभिलेखो में उनका नाम उनके नाम पर है। आवेदक की उक्त भूमि का सीमांकन हल्का पटवारी द्वारा 08.06.2015 को किया गया। सीमांकन से उक्त भूमि खसरा नं. 113 रकवा 1.38 है0 के रकवा 0.08 है0 भूमि पर अनावेदक क्रमांक 3 कालूराम एवं रकवा 0.12 है0 पर अनावेदिका क्रमांक 1 सुमित्रा बाई का एवं रकवा 0.65 पर आशा राम अनावेदक क्रमांक 4 का कब्जा पाया गया। किन्तु आवेदक की भूमि पर उक्त लोगो द्वारा अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया है अतः उन्हे संहिता की धारा 250 के तहत् बेदखल किये जाने के आदेश पारित किया जाये।

2– यहकि, आवेदक के उक्त आवेदन पत्र को तहसील मालथोन द्वारा प्रकरण क्रमांक 08/अ–70/2014–15 पर पंजीबद्व किया जाकर अनावेदकगण को विधिवत् सूचना पत्र जारी किये गये एवं सूचना सुनवाई एवं साक्ष्य का पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात् आदेश दिनांक 07.04.2016 पारित कर 7 दिवस में भूमि से कब्जा छोड़े जाने अन्यथा

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/सागर/भू.रा.2017/2221 लक्ष्मीनारायण विरूद्ध सुमंत्रा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जिला सागर के प्रकरण क्रमांक 105/अ-70/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 28-02-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 14-07-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 15-04-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 01/2/19
सदस्य